कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन,

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0–462003

क्रमांक / एफ–4 / 41 / 2022 / 10–11 / 2219 भोपाल, दिनांक 24-4-24

प्रति,

उप वन महानिदेशक, (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर,मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **अनूपपुर जिले के अंतर्गत वनमण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1X660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना–इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6–एमपीबी 009 / 2022–बीएचओ / दिनांक 01.02.2024

---0---

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित द्वारा चाही गई 03 बिन्दुओं की जानकारी संबंधितों से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :–

स.क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	The comments on compliance of previous approval of dated 08.06.2006, condition-2 अ, ब और स has not been furnished by the State Govt. Hence, the status of compensatory afforestation and the mutation/notification of the said area is required to be furnished.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि भारत सरकार के पूर्व स्वीकृति आदेश दिनांक 08.06.2006 में अधिरोपित शर्त क्रमांक–2 अ, ब एवं स के पालन में प्राप्त गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा गैर वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण उपरांत गैर वनभूमि को वन भूमि घोषित किया जा चुका है। प्रकाशित अधिसूचना की प्रति संलग्न है।
2	The DFO should also inspect the previously approved area and ensure that no violation of FCA, 1980 has done.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा लेख किया है कि पूर्व में हस्तांतरित वन भूमि का स्थल निरीक्षण किये जाने पर आवेदक संस्था द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना नहीं पाया है।
3	A consolidated layout showing component wise details of the previously diverted forest and (3.670 ha) is required to provide in which the area proposed for diversion (6.171 ha) may also be shown. The KML for the same may also be furnished for more clarity.	इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्था द्वारा पूर्ति की जाकर KML फाईल परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

24.04.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

-2-

C:\Users\Lenovo\Desktop\F-4 2023-24----.doc

पृ. क्रमांक / एफ–4 / 41 / 2022 / 10–11 / 2220 भोपाल, दिनांक 24-4-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2, म0प्र0 पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ।

24.04.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

C:\Users\Lenovo\Desktop\F-4 2023-24----.doc

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म0प्र0)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1932 अनूपपुर, दिनांक 16/03/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू.प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :– अनूपपुर जिले के अंतर्गत वन मण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना–इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हे. वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– 1– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6एम. पी.बी.009 / 2022–बी.एच.ओ. दिनांक 01.02.2024.

2– आपका पत्र क्रमांक / एफ–4 / 41 / 2022 / 10–11 / 844 दिनांक 06.02.2024

3– कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–दो अ.ता.वि.ग.चचाई का पत्र कमांक 544 दिनांक 13.02.2024.

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं संदर्भित पत्र कमांक–2 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार संदर्भित पत्र कमांक–3 से बिन्दु क्रमांक–3 की जानकारी इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिन्दु कमांक–1 व 2 की जानकारी वन मण्डल स्तर से तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्र.	चाही गई जानकारी	रिमार्क
1-	The comments on compliance of previous approval of dated 08-06-2006, condition-2अ ब और स has not been furnished by the State Govt. Hence, the status of copensatory afforestation and the mutation/ notifiation of the said area is required to be furnished.	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 08.06.2006 के बिन्दु **कमांक–2अ** के अनुक्रम में आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम चचाई में उपलब्ध कराई गई 16.076 हे. (शामिल खसरा क्रमांक 230, 231, 232, 247 / 1 एवं 2, 248, 249, 260 रकवा 3.67 हे.) गैर वनभूमि में वर्ष 2011 में विभिन्न प्रजाति के 37500 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जिनमें से वर्तमान में 30054 पौधे जीवित पाए गए हैं। माह फरवरी वर्ष 2024 में पौधों जीवितता प्रतिशत 80.14 है (वृक्षारोपण मूल्यांकन सत्यापन पत्रक संलग्न है)। बिन्दु **कमांक–2ब** के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक–एफ–25–70–2016–10–3 दिनांक 20 जुलाई 2016 से अधिसूचना जारी की गई है (छायाप्रति सलग्न)। बिन्दु **कमांक–2स** के अनुक्रम में नोडल अधिकारी को अधिसूचना प्रति प्रेषित कर दी गई है।
2-	The DFO should also inspect the previously approved area and ensure that no violation of FA, 1980 has done.	आवेदक संस्थान को पूर्व में हस्तांतरित की गई वनभूमि का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16.03.2024 को किया गया है जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है।

3-	A consolidated layout showing component wise details of the previously diverted forest and (3.670 ha) is required to provide in which the area proposed for diversion (6.171 ha) may also be shown. The KML for the same may also be furnished for more clarity.	बिन्दु क्रमांक–3 की आवेदक संस्थान के कार्यालयीन पत्र कमांक / 544 दिनांक 13.02.2024 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुई है जानकारी की छायाप्रति एवं KML फाईल ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

पृ0क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1933

अनूपपुर, दिनांक 16/03/2024

प्रतिलिपि :–

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

वृक्षारोपण मूल्यांकन माह फरवरी 2024

वनमण्डल - अनूपपुर, वन परिक्षेत्र - अनूपपुर, बीट - खुरखा

वैकल्पिक वृक्षारोपण PF 570 रोपण वर्ष 2010-11

लाइनक्र.	जीवित पौधा	मृत पौधा	योग
	प्रजाति - नीलगिरी		
1	71	0	71
11	73	02	75
21	73	04	77
31	78	02	80
41	77	01	78
51	72	08	80
61	81	06	87
71	82	02	84
81	89	03	93
91	94	08	102
101	87	10	97
111	94	06	100
121	85	09	94
131	86	07	93
141	93	9	102
151	94	08	102
161	96	05	101
171	92	10	102
181	95	10	105
191	84	19	103
201	93	12	105
211	90	20	110
221	80	24	104
231	76	14	90
239	83	9	92
	2118	208	2326

लाइनक्र.	जीवित पौधा	मृत पौधा	योग
	प्रजाति - सागौन		
1	25	09	34
11	32	08	40
21	36	07	41
31	39	07	46
41	40	05	45
51	42	09	51
61	40	08	48
71	43	15	58
81	48	11	59
91	49	12	61
101	51	12	63
111	58	10	68
121	55	16	71
131	65	08	73
141	63	14	77
151	48	15	63
161	48	23	71
171	51	31	82
	833	220	1053
~~181~~	प्रजाति - (मिश्रित) खम्हार		
181	35	35	70
191	20	27	47
201	05	12	17
	60	74	134

नीलगिरी जीवित प्रतिशत - 91.05%

सागौन जीवित प्रतिशत - 79.10%

खम्हार जीवित प्रतिशत - 44.77%

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

वृक्षारोपण मूल्यांकन माह फरवरी 2024

वनमण्डल - अनूपपुर, वन परिक्षेत्र - अनूपपुर, बीट - खुरखा

वैकल्पिक वृक्षारोपण PF570 रोपण वर्ष - 2010-11

लाइनक्र.	जीवित पौधा	मृत पौधा	योग
	प्रजाति - नीलगिरी		
1	71	0	71
11	73	02	75
21	73	04	77
31	78	02	80
41	77	01	78
51	72	08	80
61	81	06	87
71	82	02	84
81	89	03	93
91	94	08	102
101	87	10	97
111	94	06	100
121	85	09	94
131	86	07	93
141	93	9	102
151	94	08	102
161	96	05	101
171	92	10	102
181	95	10	105
191	84	19	103
201	93	12	105
211	90	20	110
221	80	24	104
231	76	14	90
239	83	9	92
	2118	208	2326

लाइनक्र.	जीवित पौधा	मृत पौधा	योग
	प्रजाति सागौन		
1	25	09	34
11	32	08	40
21	36	07	41
31	39	07	46
41	40	05	45
51	42	09	51
61	40	08	48
71	43	15	58
81	48	11	59
91	49	12	61
101	51	12	63
111	58	10	68
121	55	16	71
131	65	08	73
141	63	14	77
151	48	15	63
161	48	23	71
171	51	31	82
	833	220	1053
181	प्रजाति - (मिश्रित)		खम्हार
181	35	35	70
191	20	27	47
201	05	12	17
	60	74	134

नीलगिरी जीवित प्रतिशत - 91.05%
सागौन जीवित प्रतिशत - 79.10%
खम्हार जीवित प्रतिशत - 44.77%

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ-25-70-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहॉं तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 23^{0}09'29.182" से N 23^{0}10'0.957" उत्तर अक्षांश तथा E 81^{0}39'43.620" से E 81^{0}39'56.423" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।—

अनुसूची

जिला – अनूपपुर तहसील – अनूपपुर
वनमण्डल – अनूपपुर वन परिक्षेत्र – अनूपपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे0)	
1	चचाई	चचाई	राजस्व भूमि	249 अंश	0.411	उत्तर –प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारे क्र. 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
				259	1.921	
				258 अंश	5.928	
				251 अंश	0.150	पूर्व – प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा कमांक 02 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				247 अंश	0.600	
				248 अंश	0.573	
				232 अंश	0.102	
				233	0.688	दक्षिण – प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				234 अंश	0.499	
				229 अंश	0.062	
				228 अंश	0.846	
				235 अंश	0.626	
				230	0.031	पश्चिम – प्रस्तावित वन खण्ड मुनारा कमांक 10 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा
				231	0.446	
				232	0.699	
				247/1, 247/2	0.754	
				248	0.345	
				249	1.099	
				260	0.296	
			महायोग	20	16.076 हे.	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक/6 एम.पी.बी. 085/2005—बी.एच.ओ./1923 दिनांक 22.09.2005 एवं आदेश कमांक/6MPC/064/2006/BHO/3218 दिनांक 30.05.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमि0 चचाई की स्वीकृत परियोजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई—उपसंगीय निर्माण में प्रभावित 3.668 हे. वन भूमि एवं 1.32 हे. वन भूमि तथा 11.086 हे. राजस्व वन भूमि कुल 16.074 हे. वन/राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.076 हे. गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.076 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर अनूपपुर के आदेश कमांक/01/अ—19(3)/2006—07 दिनांक 16.08.2007 तथा कमांक/ 1034/आर.एम./2006 दिनांक 20.02.2006 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. **अन्य कारणों का विवरण** — निरंक

(ख) **उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी** — निरंक (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

1.	व्यक्तिगत अधिकार :—	उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2.	सामुदायिक अधिकार :—	उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः, उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्रं. एफ-25-70-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-70-2016-दस-3, दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपकम)
कार्यालय–कार्यपालन अभिंयता (सिविल) निर्माण संभाग–दो
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई, जिला–अनूपपुर (म.प्र.) 484220

(CIN-U40109MP2001SGC014882) Mail-secivilatps@gmail.com

कमांक001–7300/कार्य/ 544 चचाई दिनांक 13/02/2024

प्रति,

वन मंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल
अनूपपुर, मध्यप्रदेश

विषयः–अनूपपुर जिले के अंतर्गत वनमंडल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर किटिकल इकाई की स्थापना–इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–दो, म.प्र.पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बावत् (Online FP/MP/THE/130772/2021).

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र कंमाक/एफ–4/41/2022/10–11/845 भोपाल दिनॉक 06.02.2024.

उपरोक्त विषयांर्तगत संदर्भित पत्र द्वारा अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर किटिकल इकाई की स्थापना हेतु 6.171 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि म.प्र.पावर जनरेटिंग कम्पनी को उपयोग पर देने बावत् बिन्दु कंमाक (3) के अंतर्गत चाही गई जानकारी संलग्न प्रेषित है।

संलग्न (1) के. एम. एल. फाइल(हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी) विवरण सहित।

कार्यपालन अभिंयता (सिविल)
निर्माण संभाग– दो अ.ता.वि.ग्र. चचाई

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक शहडोल, वृत्त–शहडोल म.प्र.की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभिंयता (उत्पादन) अ.ता.वि.गृह म.प्र.पा.ज.क.लि., चचाई।
4. अधीक्षण अभिंयता (सिविल) अ.ता.वि.गृह म.प्र.पा.ज.क.लि., चचाई।

13/02/24
कार्यपालन अभिंयता (सिविल)
निर्माण संभाग– दो अ.ता.वि.ग्र. चचाई

d/shivangisaxena/A.E.(C)soni sir/all hindi letter

Details of forest land

S.No.	Colour	Nomenclature	Remark
1	Yellow	(a)	2.00 Hectere forest Land required for 1x660 MW
2	Yellow	(b)	4.171 Hectere forest Land required for 1x660 MW
3	Dark Blue	(c)	9.712 Hectere (24 Acre) forest land already acquired in the year 1963
4	Pink	(d) & (e)	3.731 Hectere (9.22 Acre) forest land already acquired in the year 1967
5	Light Blue	(f) +(g) + (h)	3.668 Hectere forest land already acquired in the year 2006 for 1x210 MW

13/02/24

E.E. (Civil) Constn. Dn. II
ATPS, MPPGCL, Chachai

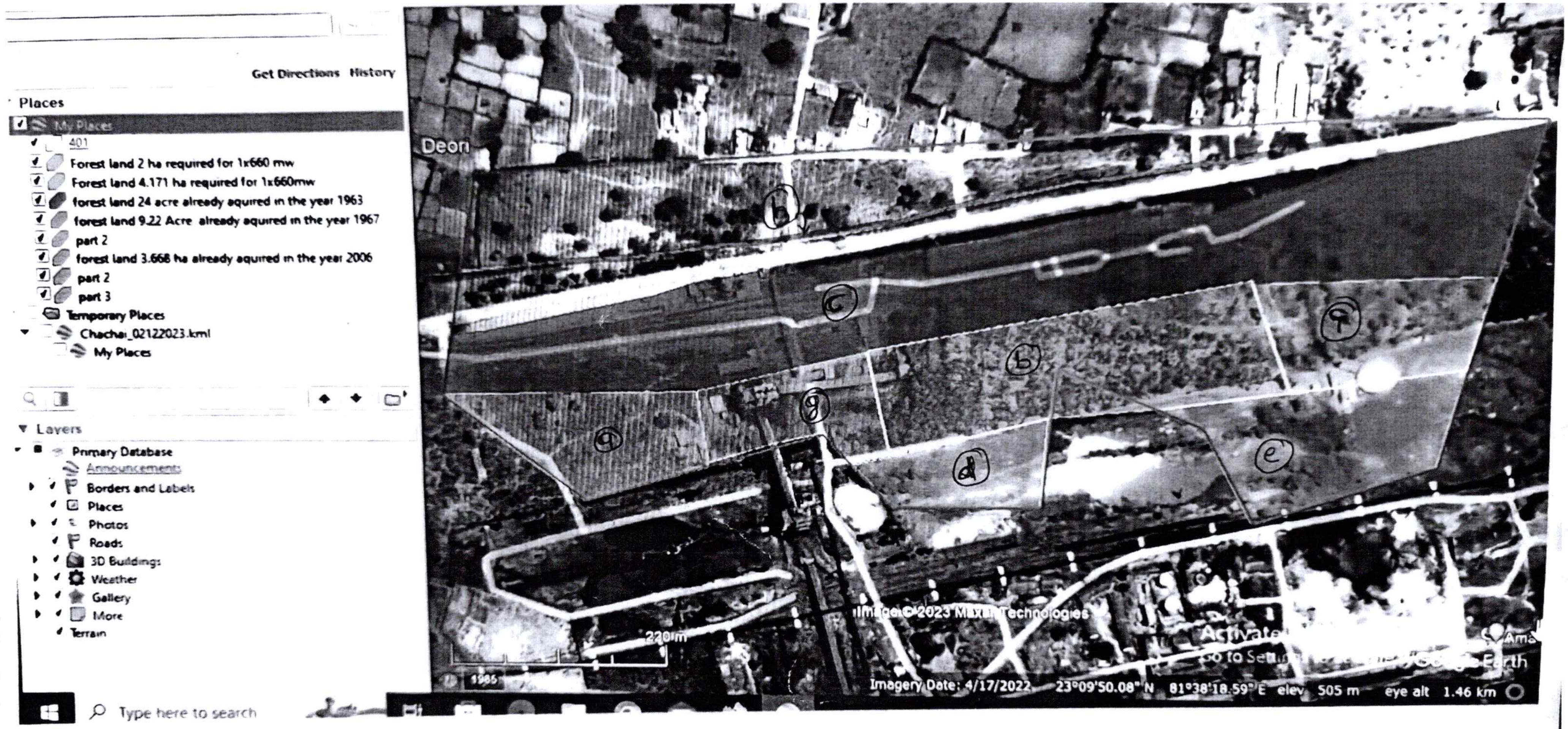

Get Directions History
Places
My Places
401
Forest land 2 ha required for 1x660 mw
Forest land 4.171 ha required for 1x660mw
forest land 24 acre already aquired in the year 1963
forest land 9.22 Acre already aquired in the year 1967
part 2
forest land 3.668 ha already aquired in the year 2006
part 2
part 3
Temporary Places
Chachai_02122023.kml
My Places
Layers
Primary Database
Announcements
Borders and Labels
Places
Photos
Roads
3D Buildings
Weather
Gallery
More
Terrain
Type here to search
Deori
220 m
Image © 2023 Maxar Technologies
Imagery Date: 4/17/2022 23°09'50.08" N 81°38'18.59" E elev 505 m eye alt 1.46 km
a
b
c
d
e
f
g
h

13/02/24